

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.04.2017 जनपद हमीरपुर-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में जनपद हमीरपुर में दिनांक-13.04.2017 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानों में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयीं।

-01वांछित गिरफ्तार-

-दिनांक 13.04.2017 को थाना पुलिस द्वारा मु0अ0स0-236/17, धारा-454/380/411 भादवि के वांछित अभियुक्त-लवी अहमद पुत्र फकीर अहमद निवासी मांचा थाना मौदहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 13.04.2017 को थाना मौदहा पुलिस द्वारा अभियुक्त-लवी अहमद पुत्र फकीर अहमद निवासी मांचा थाना मौदहा को 01अदद तमंचा 315बोर, 02अदद जिन्दा कारतूस 315बोर के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा में मु0अ0स0-237/17, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

-13भैंसों के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 13.04.2017 को थाना राठ पुलिस द्वारा अभियुक्त-1.मुकीम 2.शमसुल कम्मर पुत्रगण स्व0 कारे 3.सलमान पुत्र पीर मोहम्मद निवासी राठ को एक ट्रक में(MP-16H 1459) में 13 भैंसों को क्रूरतापूर्वक लाद कर ले जाते हुये गिरफ्तार कर अभियुक्तों के विरुद्ध थानाहाजा में मु0अ0स0-200/17, धारा-11पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।

-जुआं खेलते 03 जुआं गिरफ्तार-

-दिनांक 13.04.2017 को थाना मौदहा पुलिस द्वारा अभियुक्त-1.रमेश पुत्र शंकर निवासी भमौरा आदि 03 नफर को कस्बा मौदहा से जुआं खेलते गिरफ्तार कर अभियुक्तों पर थानाहाजा में मु0अ0स0-,238/17 धारा-13 जुआं एक्ट में मुकद्दमा दर्ज किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 14.04.2017 जनपद हमीरपुर

दिनांक-13.04.2017 को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पहिया व चार पहिया वाहनों का सघन चेकिंग अभियान में समस्त थानों से चेक किये वाहनों में 02वाहनों से 1000रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया व 01वाहन सीज।

प्रेस नोट

दिनांक 04.04.2017 को जनपद हमीरपुर के कोतवाली नगर मु0 लक्ष्मीवाई तिराहा के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शान्ति पत्नी वैजनाथ सोनी नि0 लक्ष्मीवाई तिराहा कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर की हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कर दी गयी थी व उसके घर से नकदी व जेवर लूट लिये गये थे जिस पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 125/17 धारा 302/394 भा0द0वि0 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देश पर तथा श्रीमान अपर पुलिस महोदय व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में निम्न टीमो का गठन किया गया था जिसमें थाना स्थानीय पुलिस व गठित टीमो ने मिलकर अनावरण किया गया जिसका विवरण निम्न है। जो पतारसी सुराग रसी करते हुये मुखविर ने बताया कि तीन व्यक्ति हाथ में झोला लिये राठ तिराहे पर कही जाने की फिराक मे है, हमे शंका है कि जो घटना लक्ष्मी वाई तिराहे पर घटी है वही हो सकते है अगर जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते है। कि सूचना पर मै एसएचओ व मय हमराही का0 गौरव भदोरिया, का0 सोहन सिद्धार्थ, का0 विनोद कुमार, का0 भानूप्रताप सिंह, का0 रमाकान्त, जयप्रकाश दुवे व सर्विलास टीम द्वारा सूचना पर राठ तिराहे पहुचें कि तीन व्यक्ति हाथ में वैग लिये खडे है तब रूककर मुखविर ने इशारा किया कि साहब यही लोग वो तीनो व्यक्ति है जो खडे है इस सूचना पर मुखविर को वापस किया गया चारो तरफ से घेर कर पकड लिया गया पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम सलीम उर्फ करिया पुत्र भौसा 2. असलम उर्फ स्पाइडर मेन पुत्र समद 3. हरि पुत्र फुलवा समस्त निवासीगण नयापुरा नयकाना शुक्रवारी बाजार महोबा जनपद महोबा बताया इनकी जामा तलाशी ली गयी तो इनके पास से 2100 रू0 व जेवरात 4 कि0ग्रा0 चांदी व सोने के मंगल सूत्र, 6 सोने के कंगन, 01 नथूनी सोने जो कुल बजन लगभग 75 ग्राम है। व पूछताछ पर बताया कि साहब राठ तिराहे के पास खेतो में 09 पेटी देशी शराब जो कि दिनांक 10.04.2017 को भरूआ सुमेरपुर ठेका देशी शराब की दुकान से चुराई गयी थी तथा चार परचून दुकानो से हमलोगो ने चोरी की थी तथा पकडे गये व्यक्ति ने यह भी बताया कि कस्वा मौदहा क्षेत्र में दिनांक 28.10.2016 धनतेरस को हमलोगो ने सुनार से ज्वलेरी छीन लिये थे तथा दिनांक 04.01.2017 कस्वा विबांर में बैंक के कर्मचारी से हमलोगो ने बैग छीन लिया था जिसमें मोबाइल व पैसा था जो पैसा खर्च कर दिये व मोबाइल को कम्हारिया के तालाब मे फेंक दिये थे साहब हमलोग जब भी मौका मिलता है तो मध्यप्रदेश में भी चोरी, लूट कर लेते है और जो भी लूट का सामान मिलता है बराबर बांट लेते है और दुकानो में भी ले जाकरके सोना चांदी बेच देते है। तब मुल्जिम को लाकर थाना दाखिल किया गया जिन पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0स0 125/17 धारा 302/394 भा0द0वि0 में पंजीकृत किया गया था। जिसमें उत्साह वर्धन हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा 5000रू0 नगद पुरष्कृत किया गया।

आपराधिक इतिहास:- असलम उर्फ स्पाइडर मेन

1. मु0अ0स0 125/17 धारा 302/394 भा0द0वि0 कोतवाली नगर
 2. मु0अ0स0 02/2017 धारा 392 भा0द0वि0 थाना विबांर
 3. मु0अ0स0 502/16 धारा 392/506 भा0द0वि0 थाना मौदहा
 4. मु0अ0स0 118/17 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना सुमेरपुर
 5. मु0अ0स0 117/17 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना सुमेरपुर
- अभियुक्त सलीम उर्फ करिया**
1. मु0अ0स0 125/17 धारा 302/394 भा0द0वि0 कोतवाली नगर
 2. मु0अ0स0 400/06 धारा 307/504/506 भा0द0वि0 थाना राठ
 3. मु0अ0स0 339/02 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना राठ
 4. मु0अ0स0 02/2017 धारा 392 भा0द0वि0 थाना विबांर
 5. मु0अ0स0 502/16 धारा 392/506 भा0द0वि0 थाना मौदहा
 6. मु0अ0स0 43/03 धारा 304 भा0द0वि0 थाना राठ
 7. मु0अ0स0 352/04 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना राठ
 8. मु0अ0स0 118/17 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना सुमेरपुर
 9. मु0अ0स0 117/17 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना सुमेरपुर